(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 76 **नई दिल्ली**, 23 मार्च, 2010

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 49 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्‌द्वारा, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के चलते - फिरते अग्निशामक यूनिटों द्वारा अग्नि से रक्षण / अग्नि दमन / अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रभार निर्धारित करने हेतु, इससे प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेश के अनुसार निपटाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/20/2008-जेएनपीटी

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ------- आवेदक

आ दे श

(फरवरी 2010 के 23 वें दिन पारित)

यह प्रकरण, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) द्वारा अपने चलते-फिरते अग्निशामक यूनिटों द्वारा अग्नि रक्षण / अग्नि दमन / अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रभार निर्धारित करने हेतु जेएनपीटी से प्राप्त दिनांक 18 अप्रैल 2008 के प्रस्ताव से संबंधित है ।

2.1 जेएनपीटी द्वारा उठाए गए प्रमुख बिंदु संक्षेप में निम्नानुसार है:

(i) जेएनपीटी और वहाँ प्रचालनरत निजी टर्मिनल्स, यथा, न्हावा-शेवा अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एनएसआईसीटी) गेटवे टमिनल्स इंडिया प्राइ. लिमि. (जीटीआईपीएल) और भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि. (बीपीसीएल), सभी शुष्क बल्क कार्गो, तरल बल्क कार्गो और कंटेनरों का प्रहस्तन करते हैं ।

(ii) पत्तन क्षेत्र के आसपास लगभग 20 निजी कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) उभर आए हैं । बीपीसीएल का बाटलिंग प्लांट और केंद्रीय भंडारण निगम (सी डब्ल्यू सी) का भंडार (वेयर हाऊस) जेएनपीटी से लगभग 15 कि.मी. के अन्तर के भीतर ही है ।

(iii) आग से लोगों की रक्षा और बचाव के लिए जेएनपीटी, आग लगने पर इन पड़ोसी संस्थापनाओं को (संदर्भित) सेवाएं प्रदान करता है । कथित सेवाओं के लिए जेएनपीटी द्वारा, अध्यक्ष (जेएनपीटी) के अनुमोदन से प्रस्तावित प्रभार लगाए जा रहे हैं ।

(iv) समय बीतने के साथ-साथ इस प्रकार के बुलावों की संख्या बढ़ती ही जा रही है । जेएनपीटी (संबंधित) पक्षों से, जब कभी पक्षों के अनुरोध पर या जब कभी आवश्यक समझा गया सेवा में अपने अग्निशामक यूनिट झोंकने के लिए पक्षों से प्रस्तावित दर प्रभारति करता रहा है । तथापि, कुछ ऐसे पक्ष भी है जो कथित प्रशुल्क लगाने के लिए औचित्य बताने का अनुरोध करते है और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों की अधिसूचना दिखाने पर जोर देते हैं ।

(v) आपात स्थिति का सामना करने के लिए पत्तन द्वारा वसूल किये जा रहे खतरनाक कार्गो के जरिए प्रति कंटेनर अलग प्रशुल्क में पत्तन द्वारा प्रदत्त अग्नि सेवाओं का समावेश नहीं है ।

(vi) जेएनपीटी के न्यासी मंडल ने 18 फरवरी 2008 को आयोजित अपनी बैठक में कथित प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है ।

(vii) प्रस्तावित प्रशुल्क, विशेषकर, मानव बल लगाने के लिए, वर्तमान दरमान के अनुरू प है । अन्य चलते फिरते और अग्निशामक उपकरणों के लिए दरें पत्तन द्वारा वहन की गई वास्तविक लागत पर परिगणित की गई है । इन्हीं को प्रस्तावित किया गया है और निजी पक्षों को सेवाएं प्रदान करने पर, उन पर

लगायी जाएंगी । ये प्रभार एकदम न्यूनतम हैं और तर्क संगत हैं । (जेएनपीटी ने प्रस्तावित दरों के समर्थन में एक लागत विवरणी प्रस्तुत की है ।

2.2 जेएनपीटी ने अग्निशामक सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित वर्तमान प्रभार अनुमोदित करने का अनुरोध किया है:-

(i) फायर टेंडर रू . 2000/- प्रति फायर टेंडर प्रति घंटा

(ii) ट्रेलर फायर पम्प रू . 1500/- प्रति पंप प्रति घंटा

(iii) मानव बल
(क) अधिकारी रू . 100/- प्रति घंटा
(ख) कर्मचारी रू . 75/- प्रति घंटा

(iv) अग्निशामक उपकरण और सामग्री प्रभार वास्तविक + 20% उपरिव्यय
(क) जल प्रभार
(ख) एएफएफएफ कंपाऊंड
(ग) ड्राई कैमिकल पाऊडर
(घ) ई.ए. सैट्स
(ड.) फायर एक्सटिंगिशर्स
(च) एम्बुलैंस
(छ) अन्य

ऊपर (i), (ii) और (iii) के विषय में किराया प्रभार कम से कम चार घंटे के लिए भुगतान किए जाने हैं ।

3 निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार जेएनपीटी से प्राप्त प्रस्ताव की एक प्रति उपयोगकर्त्ताओं की अनुमोदित सूची और जेएनपीटी द्वारा प्रदत्त उपयोगकर्त्ताओं की अतिरिक्त सूची में से संबंधित उपयोगकर्त्ताओं / उपयोगकर्त्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी । कुछ उपयोगकर्त्ताओं ने अपनी टिप्पणियाँ भेजी हैं । उनसे प्राप्त टिप्पणियाँ प्रतिपूरक सूचना के रू प में जेएनपीटी को उसकी टिप्पणियों के लिए भेजे गए थे । जेएनपीटी ने उपयोगकर्त्ताओं की टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणी प्रदान की हैं ।

4.1 प्रस्ताव की आरंभिक जाँच पड़ताल पर जेएनपीटी से अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था । एक अनुस्मारक के बाद जेएनपीटी ने उत्तर प्रदान किया है । हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न और जेएनपीटी के उत्तर नीचे सारणी बद्ध रू प में दिए हैं:-

क्र.सं.	हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न	जेएनपीटी के उत्तर
(i)	जेएनपीटी ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि प्रस्तावित दरों पर अग्निशमन के लिए प्रभार अध्यक्ष (जेएनपीटी) द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर ही लगाए जा रहे हैं । अग्निशमन सेवाओं के लिए जेएनपीटी द्वारा लगाए जा रहे प्रभार मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.17.1 और 2.17.3 के अनुरू प नहीं जान पड़ते हैं । प्रशुल्क मार्गदर्शियों	पत्तन ने बाहरी पक्षों को प्रदत्त अग्निशामक सेवाओं के लिए प्रभार लगाना, सक्षम अधिकारी का अनुमोदन लेने के बाद, वर्ष 2003 से ही आरंभ कर दिया था । आग लगने की जिन घटनाओं के लिए सेवाएं प्रदान की गई वे बहुत कम थी और वे आपातकालीन मामले ही थे । विगत में मौजूद अग्निशामक सुविधाओं की योजना प्रमुखतः पत्तन की प्रचालनीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन

	के अनुसार जब कभी किसी सेवा / कार्गो के लिए अधिसूचित दरमान में विनिर्दिष्ट प्रशुल्क उपलब्ध नहीं हो, तब पत्तन एक उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है और जब तक दर अन्तिम रू प से अधिसूचित नहीं हो जाती तब तक प्रस्तावित प्रभार तदर्थ आधार पर लगा सकता है। जेएनपीटी ने प्रस्ताव अप्रैल 2008 में दाखिल किया है, यह स्पष्ट नहीं है कि पत्तन कब से तदर्थ आधार पर प्रभार लगाता आ रहा है। इसके अलावा, कथित मार्गदर्शी अन्य बातों के साथ यह भी अनुबंधित करता है कि प्रशुल्क पर पत्तन और संबद्ध उपयोगकर्त्ताओं के बीच परस्पर सहमति होनी चाहिए। वर्तमान मामले में प्रभार लगाने पर संबद्ध उपयोगकर्त्ताओं की सहमति नहीं जान पड़ती है। जेएनपीटी यह स्पष्ट करे कि किस प्रशुल्क सैटिंग व्यवस्था के अंतर्गत पत्तन द्वारा प्रभार लिया जा रहा है।	की गई थी। आस पड़ौस में स्थित अन्य संगठनों से प्राप्त अनुरोध पर सहायता पहुंचाने का प्रश्न घटना की आपातकालीन प्रकृति के आधार पर लिया गया था क्योंकि बाहरी पक्षों को अग्निशामक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सुविधाएं पत्तन का मुख्य प्रयोजन नहीं था। पड़ोस में अन्य संगठनों से आपातकालीन अनुरोधों की संख्या जैसे-जैसे बहने लगी अप्रैल 2008 में प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा गया था।
(ii)	जेएनपीटी द्वारा दाखिल किया गया प्रस्ताव उपकरणों के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने हेतु लगने वाले फार्मेट-सी में नहीं है। जेएनपीटी निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव प्रस्तुत करे।	जेएनपीटी द्वारा प्रदत्त लागत ब्यौरे निर्धारित फार्मेट में नहीं पाए गए।
(iii)	खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए जेएनपीटी के दरमान में 25% प्रीमियम के साथ अलग प्रभार निर्धारित किए गए हैं। उपयोगकत्ताओं की टिप्पणियों पर टिप्पणी देते हुए दिनांक 29 नवंबर 2008 के जेएनपीटी के पत्र से ऐसा लगता है कि 25% प्रीमियम खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन में पत्तन द्वारा कथित रू प से की गई अतिरिक्त देखभाल के लिए है। अतिरिक्त देखभाल के अंतर्गत क्या-क्या कार्य किए जाते हैं, इसकी सूची प्रदान करें।	खतरनाक कंटेनर के प्रहस्तन के लिए अतिरिक्त प्रभार पोतों, पत्तन में लाकर खड़े किए गए ट्रेलरों से / पर उतारने / लादने के दौरान पत्तन द्वारा की जाने वाली अतिरिक्त देखभाल के लिए और स्वयंकार्गो की प्रकृति द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के लिए है। खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रभारित 25% प्रीमियम में किसी भी रू प से अग्निशामक सुविधाएं शामिल नहीं है, जो अनपेक्षित आपात स्थितियों में प्रदान करनी पड़ सकती हैं। अतिरिक्त देखभाल की मद में समाहित गतिविधियां निम्नलिखित हैं :- (i) खतरनाक कंटेनरों की यार्ड में छंटनी (ii) पोत / जलयान में अलग-अलग स्थानों में कंटेनरों का भंडारण (iii) कंटेनर प्रहस्तन प्रचालन के दौरान अतिरिक्त देखभाल और सुपरवीज़न (iv)खतरनाक कंटेनरों पर लेबल लगाना (v)यार्ड से बर्थ और व्युत्क्रम में खतरनाक कंटेनरों के परिवहन में रखा जाने वाला विशेष ध्यान (vi)परिवहन के लिए लगाए जाने वाले हैवी ड्यूटी ड्राइवर को इस काम के लिए विशेष रू प से प्रशिक्षित किया जाता है।
(iv)	फायर टेंडरों और ट्रेलर फायर पंप के लिए किराया प्रभारों की गणना के लिए जेएनपीटी द्वारा प्रस्तुत	

	लागत ब्यौरों के संदर्भ से जेएनपीटी निम्नलिखित स्पष्ट करें / प्रस्तुत करें :- (क) पत्तन के चलते फिरते अग्निशामक यूनिट में दो वाटर फायर टेंडर्स, एक फोम फायर टेंडर, और एक मल्टीपर्पज फायर टेंडर हैं। तथापि, जेएनपीटी ने विभिन्न श्रेणियों के फायर टेंडरों के लिए किराया प्रभार लगाने साझा दर प्रस्तावित की है। इस संदर्भ में जेएनपीटी स्पष्ट करें कि क्या 60 किमी प्रतिघंटा की औसत यात्रा और फायर टेंडरों की ईंधन खपत लागत की गणना करने के लिए विचारित 20 लिटर प्रतिघंटा की दर से डीज़ल की खपत सभी प्रकार के फायर टेंडरों के लिए समान होगी।	जेएनपीटी ने स्पष्ट कर दिया है कि डीज़ल की औसत खपत सभी प्रकार के फायर टेंडरों के लिए 1 लिटर डीज़ल प्रति किलोमीटर होगी।
	(ख) जेएनपीटी ने बताया कि लागत की गणना पत्तन द्वारा खर्च वास्तविकों पर आधारित है। जेएनपीटी इसके द्वारा विचारित पिछले तीन वर्षो में वास्तविकों पर आधारित गणना द्वारा समर्थित, फायर टेंडरों की औसत यात्रा / गति तथा फायर टेंडरों और ट्रेलर फायर पंपों द्वारा ईंधन खपत सिद्ध करे।	जेएनपीटी ने लागत पत्रक प्रस्तुत किया है। गणनाएं, पिछले तीन वर्षो में, पत्तन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पत्तन के पास उपलब्ध डाटा पर आधारित हैं।
	(ग) (i)क्या रू.35 लाख प्रति टेंडर की लागत, फायर टेंडरों की सभी श्रेणियों के लिए भी समान है। रू. 35 लाख प्रति फायर टेंडर की क्रय लागत को दस्तावेजी साक्ष्यों की सहायता से प्रमाणित किया जाए। (ii)इसी प्रकार ट्रेलर फायर पंपों की क्रय लागत रू. 11 लाख को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित किया जाए।	गणनाओं के प्रयोजन से विचारित फायर टेंडरों की औसत लागत समग्रता सभी फायर टेंडरों के लिए रू. 30.40 लाख (प्रति फायर टेंडर) है। फायर टेंडरों की लागत रू. 29 लाख से रू. 33 लाख के बीच है। (ii)जेएनपीटी ने स्पष्ट किया है कि ट्रेलर पंप्स वर्ष 1998 में अर्जित किए गए थे और एमओएस के मानदंडों के अनुसार उनका किफायती जीवन काल समाप्त हो चुका है। इसलिए, सक्षम अधिकारियों के विधिवत अनुमोदन से कथित पंपों को कबाड़ घोषित कर दिया गया था। इसलिए, कथित उपकरणों के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।
	(घ) ऐसा लगता है कि फायर टैंडरों और ट्रेलर फायर पंपों का वार्षिक अनुरक्षण बाहरी एजेन्सियों से करवाया जाता है। जेएनपीटी फायर टेंडरों और ट्रेलर फायर पंपों के अनुरक्षण के लिए बाहरी पक्षों के साथ निष्पादित अनुबंधों की प्रति प्रस्तुत करें।	जेएनपीटी ने फायर टेंडरों के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी) के लिए दिनांक 30.8.2008 के कार्य-आदेश की एक प्रति प्रस्तुत की है यह वा.अनु.अनुबंध रू. 3,76,560 प्रति वर्ष की दर से तीन वर्ष के लिए वैध है।
	(ङ) (i) फायर टेंडरों और ट्रेलर फायर पंपों का शैल्फ जीवन, मूल्य ॉास की गणना के लिए 10 वर्ष मानने का आधार प्रस्तुत किया जाए।	पिछला मूल्य ॉास एमओएस मार्गदर्शियों के आधार पर परिगणित किया गया था। इस मार्गदर्शियों में अग्निशामक उपकरणों का जीवन काल 10 वर्ष दर्शाया गया है। मूल्यॉास, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची सं. XIV के अनुसार (2005 की प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.7.1 के अनुसार) 11.31% प्रतिवर्ष की दर से दोबारा परिगणित किया गया है।

	(ii) फायर टेंडरों और ट्रेलर फायर पुप का मूल्योंास 2005 के मार्गदर्शियों की धारा 2.7.1 के अनुरू प पुनः परिगणित किया जाए।	(ii) मूल्य ॉास कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार 11.31% की दर से सरल रेखा विधि के आधार पर परिगणित किया गया है।
	(च) फायर टेंडर और ट्रेलर फायर पंप किराए पर लेने के लिए जेएनपीटी द्वारा प्रस्तावित दर प्रतिघंटा आधार पर है। इसलिए, फायर टेंडरों और ट्रेलर फायर पंप के लिए लागत ब्यौरे में जेएनपीटी द्वारा विचारित प्रतिदिन मूल्य ॉास और प्रतिदिन अनुरक्षण लागत भी प्रतिघंटा आधार पर विचारित होनी चाहिए।	प्रतिघंटा दर प्राप्त करने के लिए लागत विवरणी नए सिरे से तैयार की गई है। लगाई जा रही दर केवल रू. 2000/- प्रति घंटा है। प्रभारित किए जाने के लिए प्रस्तावित दरे, मुंबई अग्निशमन की दरों से बहुत कम हैं। प्राधिकरण मार्गदर्शियों के अनुसार पत्तन लागत + 16% प्रतिलाभ वसूल करने का पात्र है।
(v)	जेएनपीटी ने बताया है कि इसके अग्निशामक दल में एक ऐम्बुलैंस भी शामिल है। किन्तु पत्तन द्वारा ऐम्बुलैंस के लिए कोई किराया प्रभार प्रस्तावित नहीं किया है।	आपात स्थिति में बाहरी पक्षों से फायर टेंडरों के लिए अनुरोध मिलने पर उन्हें भेजा जाता है। सामान्य रू प से ऐम्बुलैंस उनके साथ नहीं जाती है। ऐम्बुलैंस केवल तब ही भेजी जाती है जब उसके लिए विशेष अनुरोध प्राप्त होता है और कुछ लोग घायल हो गए है।
(vi)	जेएनपीटी प्रस्तावित प्रभारों को लगाने केलिए दरमान का मसौदा प्रस्तावित करें।	फायर टेंडर सेवा प्रभार के लिए रू. 2000/- प्रति घंटा दर प्रस्तावित करते हुए पत्तन ने दरमान का मसौदा प्रस्तावित किया है। इसने मानव बल तैनात करने और अग्निशामक सामग्री के लिए कोई प्रभार प्रस्तावित नहीं किया है।

4.2 जेएनपीटी के प्रस्ताव में ट्रेलर फायर पंप के लिए दर, मानव बल और अग्निशामक उपकरणों तथा अग्निशामक की दर सामग्री के प्रभार शामिल हैं। जब कि जेएनपीटी ने, इस आधार पर कि कथित पंप कबाड़ घोषित कर दिए गए हैं, ट्रेलर फायर पंप के लिए दर हेतु अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया है , पत्तन द्वारा अपने पत्र दिनांक 23 सितंबर 2009 के तहत प्रस्तुत मसौदा दरमान में मानव बल और अग्निशामक उपकरण और सामग्री के लिए कोई दर सम्मिलित नहीं है। पिछले प्रस्तावित मानवबल प्रभार जेएनपीटी के वर्तमान दरमान के अनुसार हैं (अध्याय VI - विविध प्रभार खंड 6.5).

5. 27 नवंबर 2009 को इस प्राधिकरण के कार्यालय में इस प्रकरण में एक संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। जेएनपीटी और उपयोगकर्त्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे।

6. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित प्रक्रिया, इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड पर उपलब्ध है। प्राप्त टिप्पणियों का सारांश संबद्ध पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये ब्यौरे हमारे वैबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

7. इस प्रकरण पर कार्रवाई करने के दौरान एकत्रित सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

(i) यह प्रस्ताव अग्निरोधी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रभार तय करने के लिए नहीं है बल्कि जेएनपीटी द्वारा पहले से लगाए जा रहे प्रभारों की दरों को अपने वर्तमान दरमान में सम्मिलित करके इन्हें नियमित करने के लिए है। ये दरें, कथित रू प से, लंबे समय अर्थात वर्ष 2003 से लगायी जाती आ रही हैं और कुछ उपयोगकर्त्ताओं द्वारा दरों की वैधता पर प्रश्न उठाए जाने के बाद ही, जैसा कि स्वयं पत्तन ने स्वीकार किया है, जेएनपीटी ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

महापत्तन न्यास को, इसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए स्वयं अपनी ओर से अपना प्रशुल्क निर्धारित करने की कोई सांविधिक शक्ति प्राप्त नहीं है। वह इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान के अनुसार प्रभार लगाने के लिए कानूनी रू प से बाध्य है। जेएनपीटी को सलाह दी जाती है कि वह संविधि में सन्निहित प्रशुल्क निर्धारक व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन करे। चूंकि यह प्रकरण चूक का एक मामला लगता है और वैकल्पिक सेवाओं के संबंध में भी है, यह प्राधिकरण इस चूक को माफ करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहती है और प्रकरण को विचारार्थ लेना चाहती है।

(ii) उपयोगकर्त्ताओं ने इस आधार पर, टर्मिनल के भीतर घटने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए प्रभार लगाने का विरोध किया है कि अग्निशामक उपकरणों की पूंजीगत लागत पत्तन के विकास की लागत के भीतर ही निर्मित की गई है। चूंकि इस दावे की डाटा के साथ पुष्टि नहीं की गई है, यह ध्यान में रखा जाना है कि पत्तन का प्रस्ताव अग्निशामक सेवाएं किराए पर बाहर उपलब्ध कराने के लिए होने वाले खर्चो की वसूली के लिए है और जेएनपीटी ने, दरों के निर्धारण हेतु इसकी लागत गणना में संबंधित परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत पर किसी प्रतिलाभ का दावा करने के लिए नहीं है।

(iii) जेएनपीटी का प्रस्ताव, उस समय के किराया प्रभार निर्धारित करने के लिए है जब पत्तन अपनी सीमाओं के बाहर के संगठनों को अग्निशामक सेवाएं उपलब्ध करवाता है। जब कोई सेवा प्रदान की जाती है तो उसमें लागत शामिल होती है और जैसा कि आईएमसी ने ठीक ही देखा है कि अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने की लागत, उस संबद्ध संगठन द्वारा पूरी करनी चाहिए जा`अग्निशमन सेवाओं की मांग करता है और उन्हें प्राप्त करता है। सामान्य रू प से इस प्रकरण की प्रक्रिया में जिन उपयोगकर्त्ताओं ने भाग लिया है उन्हें, पत्तन की सीमाओं से बाहर स्थित संगठनों को पत्तन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए पत्तन की प्रस्तावित दरों पर कोई आपत्ति नहीं है। संयोगवश रोड-रोलर और ट्रक के लिए न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) के दरमान में प्रदत्त किराया प्रभार भी निजी उपयोग के लिए पक्षों द्वारा इन की सेवाओं का उपयोग करने पर प्रभार्य हैं।

पत्तन उसके क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के भीतर किसी भी अवांछित घटना से जिसमें आग लगना भी शामिल है निबटने के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न यह है कि इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने पर आने वाली लागत को कौन वहन करेगा। जेएनपीटी उन अग्निशमन सेवाओं से संबंधित लागत बेझिझक बर्दाश्त करने को तैयार है जो किसी ऐसी आग को बुझाने के लिए दी गई हों जिसके भड़कने के लिए सीधे-सीधे पत्तन जिम्मेदार हो। इसी जिम्मेदारी वहां भी बनती है जहां इसके द्वारा प्रचालन संचालित किया जाता हो। उन स्थानों के बारे में जहाँ जेएनपीटी का प्रचालन नहीं है अधिसूचित प्रभार केवल तभी देय होते हैं जब सेवाएं उपयोगकर्त्ता या अन्य टर्मिनल प्रचालकों, सीएफएस इत्यादि मांगी गई हों। उपयोगकर्त्ताओं द्वारा सेवाएं मांगे जाने पर ही प्रभार लगाने के बारे में मुंबई पत्तन न्यास के अधिसूचित दरमान में एक व्यवस्था है। पत्तन के वर्तमान दरमान में अग्निशामक सेवाओं के लिए दरों के साथ इसी प्रकार की व्यवस्था शामिल की गई है।

(iv) पत्तन द्वारा प्रस्तुत लागत ब्यौरे इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारू प में नहीं पाए गए हैं जबकि इस संबंध में जेएनपीटी से अनुरोध किया गया था। मुंबई अग्निशमन सेवाओं और सिडको द्वारा ली जा रही दरों पर विचार करते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रस्तावित दरों के प्रति कोई मुद्देवार आपत्ति नहीं है, यह प्राधिकरण दरों को अनुमोदित करने के लिए इच्छुक है। प्रस्तावित दरों के निर्धारण के लिए जेएनपीटी द्वारा अपनायी गई लागत निकालने संबंधी कार्य विधि के प्रति इसे किसी भी रू प में तात्कालिक अनुमोदन न समझा जाए।

(v) जैसा कि पहले बताया गया है , जेएनपीटी ने अपने आरंभिक प्रस्ताव में फायर टेंडर के किराए के लिए दरें प्रस्तावित की थीं । यह बताते हुए कि ट्रेलर फायर पंप्स अपना किफायती जीवन बिता चुकने के कारण कबाड़ में डाले जा चुके हैं, पत्तन ने ट्रेलर फायर पंपों से संबंधित प्रशुल्क मद वापिस ले ली है । इसके अलावा, जेएनपीटी द्वारा बाद में प्रस्तुत मसौदा दरमान मानवबल प्रभार और अग्निशामक सामग्री के प्रभार से संबंधित प्रशुल्क मद प्रस्तावित नहीं करता है ।

मानव बल प्रभारों के संदर्भ में पत्तन का प्रस्ताव जेएनपीटी के वर्तमान अधिसूचित दरमान में अध्याय-VI (विविध प्रभार) में खंड 6.5 (मानवबल किराया प्रभार) के अन्तर्गत पहले से उपलब्ध निर्धारण के अनुसार प्रभार लगाने का था और इसलिए मानवबल प्रभार पुनः अधिसूचित नहीं किए जा रहे हैं । मसौदा दरमान में अग्निशामक सामग्री प्रभार शामिल न करने का कारण अभी भी अनुत्तरित है । इसलिए, रू . 2000/- प्रतिफायर टेंडर प्रति घंटा की प्रस्तावित दर अधिसूचित करना पर्याप्त है और, जैसा कि जेएनपीटी द्वारा प्रस्तावित किया गया है, कम से कम 4 घंटों के लिए प्रभार लगाए जाएंगे । संयोगवश प्रस्तावित दर मुंबई अग्निशमन दल द्वारा सूचित दर रू . 3000/- प्रति घंटा या उसके अंश से कम देखी गई है ।

(vi) अग्निशामक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रभार लगाने हेतु जेएनपीटी के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया करते हुए उपयोगकर्त्ताओं ने उल्लेख किया कि खतरनाक किस्म के कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए जेएनपीटी के पास कुछ सुविधाएं नहीं हैं । सेवा प्रदाता और सार्वजनिक प्राधिकरण के रु प में पत्तन जिन गतिविधियों में संलिप्त है उनके क्षेत्र में सामान्य प्रकार की आपदाओं का मुकाबला करने के लिए अपेक्षित सुविधाएं सुनिश्चित करने और जुटाने के लिए पत्तन विधिवत बाध्य है । जेएनपीटी के लिए सलाह है कि वह बीसीसीआई और मानसा द्वारा उठायी गई कमियों की ओर ध्यान दें ।

8.1 परिणाम स्वरू प, और नीचे दिए गए कारणों से, और समग्र विचार विमर्श के आधार पर जेएनपीटी के वर्तमान दरमान के अध्याय -VI (विविध प्रभार) में निम्नलिखित प्रावधान शामिल किया गया है :-

''6.6 <u>मोबाइल फायर टेंडर सेवा प्रभार</u>

क्र.सं.	विवरण	दर प्रतिघंटा
1.	आपात काल में प्रदत्त फायर टेंडर सेवा प्रभार	रू . 2000/-

<u>नोटः-</u>

1. फायर टेंडर सेवा एक बार प्रदान करने पर न्यूनतम 4 घंटे के लिए प्रभार लगाए जाएंगे ।
2. प्रभार केवल तभी लगाए जाएंगे जब सेवाएं उपयोगकर्त्ताओं या टर्मिनल आपरेटरों या सीएफएस इत्यादि द्वारा मांगी जाएंगी ।''

8.2 अनुमोदित दर, भारत के राजपत्र में इसकी अधिसूचना पर लागू हो जाएंगी, क्योंकि दर पहले से प्रचालन में हैं ।

8.3 जेएनपीटी को अपना दरमान तदनुरू प संशोधित करने का निदेश दिया जाता है ।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष